न्यायालयः– अंचल अधिकारी,गावाँ जिला–गिरिडीह

आदेश फलक

आदेश का क्रम सं0 एवं तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
11.02.2025	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा डोनगरिया थाना नं0–300 के खाता नं0– 06 क्रमशः प्लॉट नं0– 4, 5,6, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 112, 113 क्रमशः रकवा–0.02 एकड, 2.33 डी0, 1.33 डी0, 0.48 डी0, 1.33 डी0, 0.66 डी0, 5.5 डी0, 0.66 डी0, 5.16 डी0 5.83 डी0, 13.16 डी0, 1.25 डी0, 0.5 डी0, 0.33 डी0, 9.75 डी0, 4.83 डी0 कुल रकवा– 57.66 डी0 जमीन विक्रेता मो0 सुदमिया देवी पति–मसोढी यादव दोख्तर स्व0 समन महतो साकिन–चेरवा से क्रेता लक्ष्मी प्रसाद यादव पिता–स्व0 बंधु प्रसाद यादव साकिन–हडहडा को केवाला नं0– 249 दिनांक 06.02.2014 ई0 के द्वारा रैयती जमीन प्राप्त है। जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सं0–203/1 पर लक्ष्मी प्रसाद यादव के नाम से कायम है। वर्ष 2018–19 तक लगान रसी निर्गत है। प्रथम पक्ष लक्ष्मी प्रसाद यादव का उक्त जमीन पर दखल कब्जा नही है। द्वितीय पक्ष 1. मसो0 विसनी पति–स्व0 रामचन्द्र महतो 2. राजेन्द्र ठाकुर 3. देवकी पंडित 4.सरयु पंडित 5. सातो महतो पिता–हुलास महतो सभी साकिन–डोगनरिया का उक्त जमीन पर दखल कब्जा है। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है। पूर्व में उक्त जमीन से संबंधित वाद सं0– 85/16 में लक्ष्मी प्र0 यादव बनाम विशनी देवी वगैरह धारा 144 द0प्र0सं0 न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ के द्वारा निषेधाज्ञा लगाया गया था। इस प्रश्नगत वाद का मामला स्वत्व का प्रतीत होता है। जिसका निर्णय माननीय सक्षम न्यायालय में संभव है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 11-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ 11/02/25 11-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ 11/02/25	

Digitally signed by AVINASH RANJAN
Date: 2025.02.27 15:05:34 +05:30
Location: 192.168.253.81

Scanned with OKEN Scanner